

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 276]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 7 जुलाई 2014—आषाढ़ 16, शक 1936

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

अधिसूचना में संशोधन

भोपाल, दिनांक 7 जुलाई 2014

क्र. डी-15-3-2014-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972, (क्रमांक 24 सन् 1973), की धारा 71 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अन्तर्गत जिला सिवनी की तहसील केवलारी के ग्राम पलारी में मंडी के संबंध में जारी इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-3-2014-चौदह-3, दिनांक 5 जून 2014 का अंतिम पैरा इस प्रकार है:—

“अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (24 सन् 1973) की धारा 71 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा “उक्त मंडी क्षेत्र” में “उक्त क्षेत्र” को विपाटित करके मंडी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करने के अपने आशय को संज्ञापित करती है, के आशय की अधिसूचना जारी की गई है.”

अधिसूचना में उपर्युक्त वर्णित पैरा के स्थान पर निम्नांकित पैरा स्थापित किया जाये:—

“अतएव मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (24 सन् 1973) की धारा 71 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा “उक्त मंडी क्षेत्र” में से “उक्त क्षेत्र” को विपाटित करती है.”

यह संशोधन, दिनांक 5 जून, 2014 से, मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन उपरांत, प्रभावशील होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 जुलाई 2014

क्र. डी-15-3-2014-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7 जुलाई, 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

AMENDMENT IN THE NOTIFICATION

Bhopal, the 7th July 2014

No. D-15-3-2014-XIV-3.—Last para of the Notification pertaining to mandi at Gram Palari of Tehsil Keolari, District Seoni issued under clause (c) of sub-section (2) of section 71 *vide* this Department Notification No. D-15-3-2014-14-3, dated 5th June, 2014, is as under:—

“NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of Section 71 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) the State Government hereby signifies its intention to alter the limit of the said marker area by splitting up as per the “said area”.

For the para stated above in the Notification, the following shall be substituted, namely:—

“NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of Section 71 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) the State Government hereby splits up the “said area”, there from the “said market area”.

This amendment shall come in effect from 5th June, 2014, after its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. TRIPATHI, Dy. Secy.

संशोधित अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 जुलाई 2014

क्र. डी-15-3-2014-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972, (क्रमांक 24 सन् 1973), की धारा 4 के अन्तर्गत, मध्यप्रदेश राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्र. डी-15-3-2014-चौदह-3, भोपाल, दिनांक 5 जून, 2014 का संशोधित अंग्रेजी अनुवाद, इस प्रकार पढ़ा जाये:—

No. D-15-3-2014-XIV-3.—*Vide* this Department Notification No. D-15-3-2014-14-3, dated 5th June, 2014, issued under the provisions of sub-sections (1) of section 3 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government had declared its intention to establish a market at Gram Palari for regulating the purchase and sale of the agricultural produce mentioned in the schedule of the said Act, in revenue circle Keolari, including all revenue and forest villages of the area of Keolari Tehsil of Seoni District.

“NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 4 of the Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby establishes a market at Gram Palari for regulating the purchase and sale of agricultural produce mentioned in the schedule of the said Act, in the revenue circle Keolari, including all revenue and forest villages of the area of Keolari Tehsil of Seoni District.

This amended Notification shall come in effect from 5th June, 2014, after its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. TRIPATHI, Dy. Secy.